रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 2018/ वैशाख 5, 1940
No. 166] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2018/ VAISAKHA 5, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 6 अप्रैल, 2018

टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस.—भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में और 'महापत्तन प्रशुल्क विनियमन दिशानिर्देश, 2004' के खंड 1.2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा 31 मार्च, 2005 के आदेश संख्या. टीएएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस के द्वारा अधिसूचित 'महापत्तन प्रशुल्क विनियमन दिशानिर्देश, 2004' की वैधता का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अप्रैल, 2018 के 4 थे दिन पारित)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 39 के द्वारा "महापत्तन प्रशुल्क विनियमन दिशानिर्देश, 2004" अधिसूचित किये गए थे। ये दिशानिर्देश 31 मार्च, 2005 से प्रभावी हुए थे और दिशानिर्देशों के खंड 1.2 के अनुसार जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा उनकी पहले समीक्षा न की जाए या विस्तार न किया जाए 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगे अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक । उक्त दिशानिर्देश तब सभी महापत्तन न्यासों और उन में प्रचालित निजी टर्मिनलों के संबंध में लागू किये गए थे।

2. महापत्तन प्रशुल्क न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने 13 जनवरी, 2015 के पत्र संख्या 8(1)/2014-टीएएमपी के द्वारा महापत्तन न्यासों के लिए "महापत्तन न्यास प्रशुल्क निर्धारण नीति, 2015" नामक प्रशुल्क नीति जारी की और इस प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से तदनुसार कार्य करने का निदेश दिया। तदनुसार, महापत्तन न्यासों के लिए "महापत्तन न्यास प्रशुल्क निर्धारण नीति, 2015" नामक प्रशुल्क नीति 27 जनवरी, 2015 को राजपत्र संख्या 30 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, (भाग-III, खंड 4) में अधिसूचित किया। महापत्तन न्यास प्रशुल्क नीति, 2015, 13 जनवरी, 2015 से प्रभावी हुई जैसा कि पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी, 2015 के पत्र में निर्देश दिया गया था। उक्त प्रशुल्क नीति, 2015 के

खंड 1.1 के अनुसार यह सभी महापत्तन न्यासों पर लागू है। इसी प्रशुल्क नीति का खंड 1.3 बताता है कि प्रशुल्क नीति 2015 बीओटी/बीओओटी प्रचालकों अथवा निजी सैक्टर के लिए की गयी किसी अन्य व्यवस्था पर लागू नहीं है।

3. जैसा कि पोत परिवहन मंत्रालय ने सलाह दी है, यह प्राधिकरण, समय-समय पर 'महापत्तन न्यास प्रशुल्क विनियमन दिशानिर्देश, 2004' की वैधता का विस्तार करता है। पिछले विस्तार में, उक्त दिशानिर्देशों की वैधता को 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, किया था, साथ ही इनका विस्तार वर्तमान में दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित बीओटी टर्मिनल प्रचालकों पर भी किया गया था, जैसा कि पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने 27 फरवरी, 2017 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग-III) द्वारा सलाह दी गई ।

4. पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने 23 मार्च, 2018 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग-III) के द्वारा 'महापत्तन न्यास प्रशुल्क विनियमन दिशानिर्देश, 2004' की वैधता का विस्तार 31 मार्च, 2019 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, किया है। इसके अतिरिक्त पोत परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि पोत परिवहन मंत्रालय के 13 जनवरी, 2015 के पत्र संख्या 8(1)/2014-टीएएमपी के द्वारा महापत्तन न्यासों के लिए घोषित "महापत्तन न्यास प्रशुल्क निर्धारण नीति, 2015" के अनुसार यह विस्तार महापत्तन न्यासों में परिचालित निजी प्रचालकों पर ही लागू होगा, जिनके विनियम "महापत्तन प्रशुल्क विनियम दिशानिर्देश, 2004" द्वारा शासित हैं।

5. तदनुसार, "महापत्तन प्रशुल्क विनियम दिशानिर्देश, 2004" की वैधता का विस्तार 31 मार्च, 2019 अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, किया जाता है। यह विस्तार महापत्तन न्यासों पर प्रचलित उन बीओटी प्रचालकों पर ही लागू होगा जो "महापत्तन प्रशुल्क विनियमन दिशानिर्देश, 2004" के द्वारा शासित होते हैं।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./42/18]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th April, 2018

No. TAMP/21/2009-WS.—In compliance of the direction issued by the Government of India in Ministry of Shipping and in exercise of the powers conferred under Clause 1.2 of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004', the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' notified vide Order No.TAMP/23/2003-WS on 31 March 2005, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/21/2009 - WS

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 4th day of April 2018)

The 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' were notified in the Gazette of India on 31 March 2005 vide Gazette No.39 by this Authority in compliance of policy directions issued by the Government of India under section 111 of the Major Port Trusts' Act, 1963. These guidelines came into effect from 31 March 2005 and as stipulated in clause 1.2 of the guidelines, remained in force for a period of 5 years, i.e. up to 31 March 2010, unless reviewed earlier or extended by this Authority. The said Guidelines was then applicable in respect of all Major Port Trusts and private terminals operating thereat.

2. The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No. 8(1)/2014-TAMP dated 13 January 2015 issued a Tariff Policy for Major Port Trusts called "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, and directed the Authority to act accordingly with immediate effect. Accordingly, the Tariff Policy for Major Port Trusts called "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 27 January 2015 vide Gazette No.30. The said Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015 came into effect from 13 January 2015, as directed by the MOS vide its letter dated 13 January 2015. As per clause 1.1. of the said Tariff Policy 2015, it is applicable to Major Port Trusts. Clause 1.3. of the *ibid* Tariff

Policy states that the Tariff Policy 2015 is not applicable to BOT/ BOOT operators or any other arrangement for Private Sector Participation.

3. As advised by the MOS, this Authority extended the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' from time to time. In the last occasion, the validity of the said guidelines was extended by the Authority for BOT Terminal Operators operating at Major Ports presently governed under 2005 guidelines from 1 April 2017 to 31 March 2018 or until further orders, whichever is earlier, as advised by the MOS vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG(pt-III) dated 27 February 2017.

4. The MOS vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG(pt-III) dated 23 March 2018 has extended the validity of "Guidelines for the Regulation of tariff at Major Ports, 2004" till 31 March 2019 or until further orders, whichever is earlier. Further, the MOS has stated that, in view of the announcement of the "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" by the Ministry vide letter no. 8(1)2014-TAMP, dated 13 January 2015, this extension is applicable only to the private terminals operating at the Major Port Trusts whose regulation of tariff is being governed by the said "Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004".

5. Accordingly, the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' is extended till 31 March 2019 or until further orders, whichever is earlier. This extension is applicable only to the BOT terminals operating at the Major Port Trusts whose regulation of tariff is being governed by the said "Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004".

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./42/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.04.27 14:48:36 +05'30'